संख्या 13/3/2024-ईसी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

दिनांक: 17.03.2025

रिक्ति परिपत्र

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में महानिदेशक के एक पद (गैर-सीएसएस पद) को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (182200-224100 रुपये) पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा के आधार पर भरने के संबंध में।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसे देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है। महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में महानिदेशक के एक पद (गैर-सीएसएस पद) को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (182200-224100 रुपये) पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है।

2. पात्रता की शर्तें:

क. आवश्यक योग्यताएं और अनुभव

(क) अधिकारी आभियंत्रिकी में स्नातक या भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भूविज्ञान या भूभौतिकी या ऊर्जा अध्ययन या ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए; और

(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार में समूह 'क' में कम से कम 25 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिए, जिसमें सेवा के मूल कैडर में 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 (144200-218200 रुपये) के समतुल्य; 37,400-67,000 रुपये (ग्रेड वेतन 10,000) के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, या किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या किसी सांविधिक निकाय या निजी फर्म में योग्यता-पश्चात कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से 5 वर्ष किसी प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर होना चाहिए; और

(ग) अधिकारी को ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति और ऊर्जा प्रबंधन, मानकीकरण और ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित मामलों से निपटान का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

ख. वांछनीय योग्यता और अनुभव

इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर या भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भूविज्ञान या भूभौतिकी या ऊर्जा अध्ययन या ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले और ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में नीति निर्माण या योजना बनाने में अनुभव रखने वाले अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. यदि, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, प्रतिनियुक्ति पर की गई मानी जाएगी और सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद, जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, उसकी नियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध पर की गई मानी जाएगी।

4. यदि, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या किसी निजी कंपनी या सोसायटी या संस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति अल्पकालिक संविदा पर की गई मानी जाएगी।

5. महानिदेशक के पद से संबद्ध कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की सूची:

(क) शासी परिषद द्वारा मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के अधीन, महानिदेशक, ब्यूरो के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में, अधिनियम के प्रावधानों और उनके अधीन विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन और ब्यूरो की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ख) महानिदेशक को अधिनियम की धारा 52 के तहत ब्यूरो द्वारा अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) महानिदेशक, इन विनियमों में निर्दिष्ट ब्यूरो के कार्यों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे और अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रदत्त ब्यूरो की शासी परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।

6. वेतनमान और भत्ते:

(क) महानिदेशक सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-15 (182200-224100 रुपये) में वेतन पाने का हकदार होगा:

बशर्ते कि जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां मूल सरकार से प्राप्त होने वाले उसके वेतन को संरक्षित किया जाएगा।

(ख) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या किसी निजी कंपनी या सोसायटी या संस्था से नियुक्त व्यक्ति के संबंध में पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान ब्यूरो द्वारा उधारदाता सरकार को भुगतान किया जाएगा।

(ग) महानिदेशक, केंद्र सरकार में समतुल्य स्तर के समूह 'क' अधिकारी को स्वीकार्य दर पर वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ते का हकदार होगा।

(घ) महानिदेशक की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में प्रावधान नहीं किए गए हैं, छुट्टी वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि सहित केन्द्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय होने के अनुरूप होंगी।

7. आयु सीमा: महानिदेशक, बीईई के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष होगी।

8. प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि: प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि पांच वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।

9. पात्र अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-I) में भरे गए आवेदनों (दो प्रति) पर जिनकी सेवाएं चयन के तुरंत बाद प्रदान की जा सकती हैं, अग्रेषण प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (अनुबंध-II पर) जो विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है सहित होने पर ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ "अगले 5 वर्षों में भारत में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए रोड मैप" पर कम से कम 500 शब्दों में एक लेख संलग्न करना होगा। राज्य सरकारों/केंद्र सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के आवेदन उनके कैडर नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए:

(i) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र
(ii) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची (यदि कोई शास्ति नहीं लगाई गई है तो 'शून्य' प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।
(iii) सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र।
(iv) पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) की एसीआर की सत्यापित फोटोकॉपी (प्रत्येक पृष्ठ पर भारत सरकार के अवर सचिव या इससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा सत्यापित)।

निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं भेजे गए या उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए या अपेक्षित संलग्नकों के साथ नहीं भेजे गए आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा और भर्ती के किसी भी चरण में इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

10. सभी आवेदन निर्धारित प्रारूप में निदेशक (ऊर्जा संरक्षण), द्वितीय तल, 'एफ' विंग, कमरा सं. 201, ऊर्जा संरक्षण प्रभाग, विद्युत मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिए, जिसके लिफाफे के ऊपर "महानिदेशक, बीईई के पद

के लिए आवेदन" लिखा हो, तथा रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर पहुंच जाए। आवेदन के लिए प्रारूप विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट- https://powermin.gov.in/ और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वेबसाइट- https://beeindia.gov.in/en से डाउनलोड किया जा सकता है।

11. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार का एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

17.03.2025

अवर सचिव (ईसी, ईटी और ईवी)
विद्युत मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (ई-एचआरएमएस 2.0 के माध्यम से);

2. वेब सेल, विद्युत मंत्रालय/बीईई को इस अनुरोध के साथ कि वे रिक्ति परिपत्र को मंत्रालय/बीईई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।